

कार्यालय नियंत्रक, नाप तौल, म.प्र. भोपाल

क्र० 1526 /नातौ/अ-1(1)एफ-बा.निरी./2011 भोपाल दिनांक ०३/०५/2011
प्रति,

समस्त उप/सहायक नियंत्रक,
समस्त निरीक्षक,
नाप-तौल,
मध्यप्रदेश

विषय :- अखबार, मैग्जीन्स आदिमें प्रकाशित विज्ञापनों में अनियमितताओं के संबंध में दर्ज अभियोजन प्रकरण बावत्।
.....

उपरोक्त विषयांतर्गत लेख है कि निरीक्षकों द्वारा अखबार, मैग्जीन्स आदि में प्रकाशित विज्ञापनों में त्रुटि पाएं जाने पर अभियोजन की कार्यवाही की जाती है जिसमें प्रकरण में राजीनामा या न्यायालय में प्रस्तुत करने की कार्यवाही उप/सहायक नियंत्रक स्तर पर की जाती है।

उक्त संबंध में आपको निर्देश दिये जाते हैं कि आगे से आपके द्वारा अखबार, मैग्जीन्स आदि में प्रकाशित विज्ञापनों में त्रुटियाँ पाएं जाने पर दर्ज किये गये एवं भविष्य में दर्ज किये जाने वाले अभियोजन प्रकरण में उप/सहायक नियंत्रक स्तर से की जाने वाली कार्यवाहियां जैसे राजीनामा एवं न्यायालय में प्रस्तुत करने की स्वीकृतियाँ अब आपके द्वारा नहीं की जावेगी अब ऐसे समस्त प्रकरणों को सुस्पष्ट अनुशंसा के साथ मुख्यालय को प्रेषित करेंगे, इन प्रकरणों पर मुख्यालय द्वारा निर्णय लिया जावेगा।


नियंत्रक

नाप-तौल, म.प्र. भोपाल